



सराहनीय कार्य

थाना असोहा, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 27.07.2022

- हत्या की घटना कारित करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार
- आलाकल्ल लोहे का पाइप बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना असोहा पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले तीन वांछित अभियुक्तगण को आलाकल्ल एक अदद लोहे का पाइप बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 23.07.2022 को गुड्डू पुत्र राम कुमार नि० कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव को तीन अभियुक्तगण द्वारा पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 24.07.2022 को थाना असोहा पर मु०अ०स० 139/22 धारा 302/34 IPC बनाम 1. संतराम पुत्र स्व० अयोध्या 2. कुलदीप 3. संदीप पुत्रगण संतराम 4. एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना का सही अनावरण करते हुए प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार व उ०नि० श्री कृष्णेंद्र कुमार मय हमराह फोर्स द्वारा हत्या की घटना को कारित करने वाले नामित व प्रकाश में आये अभियुक्तगण 01. सन्दीप उर्फ छोटू पुत्र सन्तराम उम्र करीब 20 वर्ष 02. रोहित पुत्र रज्जनलाल उम्र करीब 19 वर्ष 03. लवकुश पुत्र मन्नीलाल उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव को जंगलीखेड़ा नहरपुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर जंगलीखेड़ा के जंगल से घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल एक अदद लोहे का पाइप बरामद किया गया।



उल्लेखनीय है कि घटना में शामिल अभियुक्त संदीप उपरोक्त जिसका मई 2021 में मृतक गुड्डू व उसके परिवार से विवाद हुआ था, से मृतक गुड्डू का भतीजा रोहित उपरोक्त जो कि गुड्डू की अपने

गलत कामों में रोक-टोक से परेशान था, ने संदीप से दोस्ती कर ली। संदीप ने रोहित व अपने अन्य दोस्तों आयुष व लवकुश के साथ गुड्डू की हत्या की योजना बनाई। जिसमें रोहित गुड्डू पर नजर रखने लगा। इसी योजना के तहत रोहित को जानकारी हुई कि दिनांक 23.07.2022 को गुड्डू रात को अपने घर से खेत में जायेगा, तो उसने यह बात संदीप व अन्य साथियों को बताई। दिनांक 23.07.2022 को ही चारों अभियुक्तगण द्वारा योजना के अनुसार संदीप के घर में इकट्ठे होकर शराब पी तथा जब गुड्डू अपने घर से खेत जाने के लिये निकला तो रास्ते में उक्त चारों ने उसको घेर कर लोहे की पाईप व लात घूसों से मारा पीटा। जिसमें गुड्डू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई।

थाना असोहा पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 01. सन्दीप उर्फ छोटू पुत्र सन्तराम उम्र करीब 20 वर्ष 02. रोहित पुत्र रज्जनलाल उम्र करीब 19 वर्ष 03. लवकुश पुत्र मन्नीलाल उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव को मय आलाकल्ल लोहे का पाइप बरामद कर गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

01. सन्दीप उर्फ छोटू पुत्र सन्तराम उम्र करीब 20 वर्ष
02. रोहित पुत्र रज्जनलाल उम्र करीब 19 वर्ष
03. लवकुश पुत्र मन्नीलाल उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण ग्राम कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव ।

बरामदगी:-

आलाकल्ल एक अदद लोहे का पाइप

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार
2. उ0नि0 श्री कृष्णेन्द्र कुमार
3. का0 हिमांशु चौधरी
4. का0 वीरेन्द्र सिंह
5. का0 श्याम सुन्दर



सराहनीय कार्य

थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 27.07.2022

• 20 हजार रुपये का इनामिया गैंगस्टर गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा 20 हजार रुपये के इनामिया गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 27.07.2022 को थानाध्यक्ष सोहरामऊ श्री अमित सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा थाना सोहरामऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 - 07/22 धारा- 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधि0 1986 में वांछित एवं 20 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी नसीम पुत्र नूरमुहम्मद नि0 ग्राम भदेसुआ थाना मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को ग्राम बिलौरा चौराहे से गिरफ्तार किया गया ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. नसीम पुत्र नूरमुहम्मद नि0 ग्राम भदेसुआ थाना मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 195/21 धारा 3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
2. मु0अ0सं0-203/21 धारा-4/25 शस्त्र अधि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
3. मु0अ0सं0-07/22 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधि0 थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव
4. मु0अ0सं0-63/19 धारा-3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना-गोसाईगंज जनपद-लखनऊ
5. मु0अ0सं0-88/19 धारा-3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना-गोसाईगंज जनपद-लखनऊ
6. मु0अ0सं0-106/19 धारा-3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना-गोसाईगंज जनपद-लखनऊ
7. मु0अ0सं0-56/19 धारा-3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना-मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ
8. मु0अ0सं0-150/19 धारा-3/5/8 गौवध निवा0 अधि0 थाना-मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ

- 9.मु0अ0सं0-167/19 धारा-4/25 शस्त्र अधि0 थाना-मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ
10.मु0अ0सं0-255/19 धारा-2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधि0 थाना-मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ
11.मु0अ0सं0-146/21 धारा-3/25 शस्त्र अधि0 थाना-मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री अमित सिंह (थानाध्यक्ष) थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।
2. हे0का0 जुगराज सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।
3. का0 सतीश कुमार थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।
4. का0 प्रवीण कुमार थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।



उन्नाव पुलिस

सराहनीय कार्य

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

दिनांक 27.07.2022

• 25 हजार रुपये का इनामिया वांछित गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 13.03.2022 को थाना कोतवाली सदर पर अवैध तमंचा की बरामदगी के संदर्भ में मु0अ0सं0 128/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम धर्मेन्द्र पुत्र गोविन्द नि0 भवानी खेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया था। जो कि दिनांक 14.03.2022 को थाने से फरार हो गया, जिसके संबन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु0अ0सं0 132/22 धारा 223/224 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों को लगाया गया, किन्तु तत्समय उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। जिसके पश्चात श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव द्वारा दिनांक 12.07.2022 को उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 25,000 रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया। आज दिनांक 27.07.2022 को अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र गोविन्द नि0 भवानी खेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर श्री राजेश पाठक व उ0नि0 श्री संतोष कुमार राय मय हमराह फोर्स द्वारा कुन्दन रोड करोवन मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01. धर्मेन्द्र पुत्र गोविन्द नि0 भवानी खेड़ा थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री राजेश पाठक
2. उ0नि0 संतोष कुमार राय
3. का0 कृष्णानन्द मौर्या
4. का0 सिद्धार्थ गौतम
5. का0 रोहित यादव
6. का0 राघवेन्द्र गुर्जर

एसओजी/सर्विलांस टीम-

- 1.हे0का0 अब्दुल जब्बार सर्विलांस सेल
- 2.का0 तरुण कुमार सर्विलांस सेल
- 3.का0 सुनील कुमार एसओजी टीम



सराहनीय कार्य

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव।

दिनांक 27.07.2022

- अंतर्जनपदीय अवैध असलहा तस्कर गैंग गिरफ्तार
- 01 अददी 12 बोर, 09 तमंचे व 18 कारतूस 315/12 बोर बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्जनपदीय असलहा तस्कर गैंग के पांच सदस्यों को 01 अदद अददी बंदूक 12 बोर, 09 अदद तमंचे व 18 जिंदा कारतूस 315/12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 27/7/22 को प्रभारी निरीक्षक बांगरमऊ श्री ओम प्रकाश राय व स्वाट टीम प्रभारी उ०नि० प्रदीप कुमार मय टीम के लखनऊ तिराहे पर अपराध के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे थे, कि जरिये मुखबिर खास द्वारा बताया गया कि अहिरनपुरवा को जाने वाले रोड़ के किनारे शीतला देवी मन्दिर के पास कुछ अवैध असलहा तस्कर असलहा बेचने के लिये आये हैं इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक व स्वाट



टीम प्रभारी मय हमराहीगण के मौके पर पहुंचकर असलहा बेचने वाले 1. रघुवीर पटेल पुत्र बैजू प्रसाद निवासी ग्राम गम्भीरपुर खम्भौली थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 65 वर्ष 2. तैय्यब पुत्र लल्लन निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष 3. अमरीश पुत्र अलखनाथ निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 33 वर्ष 4. सुभाष पुत्र रामसागर निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 32 वर्ष 5. पप्पू पुत्र साबिर निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 44 वर्ष को कब्जे से एक अदद अददी 12 बोर, सात अदद तमंचा 12 बोर, दो अदद तमंचा 315 बोर 13 अदद कारतूस 12 बोर, 5 अदद कारतूस .315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 320/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांगरमऊ बनाम रघुवीर पटेल

उपरोक्त, मु0अ0सं0 321/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांगरमऊ बनाम अमरीश उपरोक्त, मु0अ0सं0 322/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांगरमऊ बनाम पप्पू उपरोक्त, मु0अ0सं0 323/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांगरमऊ बनाम सुभाष उपरोक्त, मु0अ0सं0 324/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बांगरमऊ बनाम तैय्यब उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- (1) रघुवीर पटेल पुत्र बैजू प्रसाद निवासी ग्राम गम्भीरपुर खम्भौली थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 65 वर्ष
- (2) तैय्यब पुत्र लल्लन निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष
- (3) अमरीश पुत्र अलखनाथ निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 33 वर्ष
- (4) सुभाष पुत्र रामसागर निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 32 वर्ष
- (5) पप्पू पुत्र साबिर निवासी जोगीकोट थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव उम्र 44 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- (1) अभियुक्त रघुवीर पटेल के कब्जे से एक अदद अद्दी 12 बोर व एक तमंचा 12 बोर व तीन कारतूस 12 बोर
- (2) अभियुक्त तैय्यब के कब्जे से 02 तमंचा 12 बोर व 3 कारतूस 12 बोर
- (3) अभियुक्त अमरीश के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक तमंचा 12 बोर व तीन कारतूस 315 बोर व 02 कारतूस 12 बोर
- (4) अभियुक्त सुभाष के कब्जे से 2 तमंचा 12 बोर व 3 कारतूस 12 बोर
- (5) अभियुक्त पप्पू के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक तमंचा 12 बोर , 2 कारतूस 315 बोर व 2 कारतूस 12 बोर

कुल एक अदद अद्दी 12 बोर, सात अदद तमंचा 12 बोर, दो अदद तमंचा 315 बोर, 13 अदद कारतूस 12 बोर, 5 अदद कारतूस .315 बोर बरामद हुये

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- (1) प्रभारी निरीक्षक श्री ओम प्रकाश राय (थाना बांगरमऊ)
- (2) उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार (प्रभारी स्वाट टीम)
- (3) उ0नि0 श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह (थाना बांगरमऊ)
- (4) हे0का0 रोहित शर्मा (स्वाट टीम)
- (5) हे0का0 शमीम (स्वाट टीम)
- (6) का0 राधेश्याम (सर्विलांस सेल)
- (7) का0 अंकित कुमार (स्वाट टीम)
- (8) का0 रविकुमार (स्वाट टीम)
- (9) का0 आशीष मिश्रा (स्वाट टीम)
- (10) का0 लोकेन्द्र यादव (थाना बांगरमऊ)
- (11) का0 पिन्दू वर्मा(थाना बांगरमऊ)